न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 17/2018 गुण्डा नियंत्रण एक्ट

अनवानी :– राकेश सोनी पुत्र महावीर सोनी निवासी मकान नं0 90 एल.आई.सी. कॉलोनी, श्रीगंगानगर ।

----- अपीलांट

-- बनाम --

स्टेट जरिये सहायक लोक अभियोजक ।

----- रेस्पोडेन्ट

अनुपस्थित :– रामकिशन गोयतान् अभिभाषक अपीलान्ट
उपस्थितः चतुर्भुज शर्मा सहायक लोक अभियोजक राज्य पक्ष की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 9.7.2019**

1. यह अपील राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 6(1) के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 28.11.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित किया जाकर जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने के आदेश दिये गये, के विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 30.10.18 को जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष राज. गुण्डा नियत्रंण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत अपीलार्थी राकेश सोनी पुत्र महावीर सोनी निवासी एल.आई.सी. कॉलोनी, श्रीगंगानगर के विरूद्व इस्तगासा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि गैरसायल अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है तथा जुआ सट्टा करने का आदी है, इसके विरुध्द कुल 23 प्रकरण दर्ज है, जिनमे जुआ अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज हुए 11 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा सजायाब किया गया है । गैरसायल की गतिविधियों से क्षेत्र की जनता की सम्पत्ति एवं सुरक्षा को खतरा है । इसकी आपराधिक गतिविधियां निरन्तर बढ़ रही है । गैर सायल के खिलाफ लोग अपनी जान एवं सम्पत्ति के नुक्शान के भय के कारण गवाही देने को तैयार नहीं है । गैर सायल गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है अतः गैर सायल का जिले से बाहर होना जनता के हित में है ।
3. उपर्युक्त इस्तगासा प्रस्तुत होने पर न्यायालय अति.जिला मजिस्ट्रेट,(नगर) श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 2.11.2018 को अपीलान्ट के निमित अनुसूची प्रपत्र–1 में आरोपों की सूचना देते हुए जवाब स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी कर दिनांक 22.11.2018 की त.रीख पेशी दी गयी ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलान्ट द्वारा दिनांक 22.11.18 को जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब नोटिश हेतु अवसर चाहा गया । अपीलान्ट द्वारा दिनांक 28.11.18 को जवाब नोटिस पेश करने पर न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर ने उसी दिनांक 28.11.18 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट के विरुध्द गुण्डा नियंत्रण एक्ट की धारा 3 की उप धारा 1 के खण्ड (क)(ख) और (ग) में विरचित तीनों आरोप सिध्द मानते हुए धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित कर अपीलान्ट को जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित किया जाकर थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली, चूरु में रिपोर्ट प्रस्तुत करने व मुख्यालय चूरु में रहने के आदेश दिये । न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 28.11.18 के विरुध्द गुण्डा नियत्रंण अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत अपीलान्ट द्वारा इस न्यायांलय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

4. उक्त अपील प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त किया गया । प्रकरण में वरवक्त बहस अभिभाषक अपीलान्ट के अनुपस्थित रहने पर अपील मीमो का अवलोकन कर सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।

5. अभिभाषक अपीलान्ट का अपील मीमो अनुसार मुख्य रुप से कथन है कि अपीलार्थी के विरुध्द राजस्थान पब्लिक गैंबलिंग अधिनियम के तहत पुलिस थाना सदर श्रीगंगानगर द्वारा धारा 13 आरपीजीओ के अन्तर्गत 11 प्रकरण पुलिस द्वारा राजनैतिक रंजिस के कारण दर्ज किये जाकर न्यायालय में चालान पेश किये गये, जिनमें मात्र 100/– रुपये जुर्माने का प्रावधान है । धारा 13 आरपीजीओ के उक्त मुकदमों में अपीलार्थी ने माननीय न्यायालय की समझाईस एवं लोक अदालत की प्रेरणा से जुर्म स्वीकार कर निस्तारण करवाया है । अपीलार्थी के विरुध्द परिवाद अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन पक्ष द्वारा कोई भी स्वतंत्र साक्षी अधीनस्थ न्यायालय में परिक्षित नहीं करवाया है । प्रार्थी अपीलान्ट ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, जिसके कारण समाज में भय व्याप्त हो एवम् किसी व्यक्ति के शरीर या सम्पत्ति को खतरा या नुकसान हो रहा हो । अपीलान्ट के पैनक्रियाज का ऑपरेशन हो चुका है तथा सुगर है । अपीलान्ट एक ही व्यक्ति परिवार में कमाने वाला है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(नगर) श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.11.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. प्रकरण में राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, इसकी आपराधिक गतिविधियां निरन्तर बढ़ रही है, जिसके विरुध्द कुल 23 प्रकरण भा.दं.सं., आवकारी एक्ट, एनडीपीएस एक्ट एवं 13आरपीजीओ के दर्ज हुए हैं । प्रकरण में गुण्डा नियंत्रण एक्ट की धारा 3(1) की उप धारा ''क'' ''ख'' ''ग'' में विनिर्दिष्ट स्थितियों को सिध्द करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवम् साक्ष्य रपट रोजनामचा आम दिनांक 25.10.18 रपट सं0 80 के अनुसार अपीलार्थी अपराधिक किस्म का व्यक्ति है तथा जुआ सट्टे का आदि है । इसके विरुध्द

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जुआ अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज हुए 11 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा सजायाब किया गया है । अपीलान्ट की गतिविधियों से क्षेत्र की जनता की सम्पत्ति एवं सुरक्षा को खतरा है। इसके खिलाफ लोग अपनी जान एवं सम्पत्ति के नुक्शान के भय के कारण गवाही देने को तैयार नहीं है । अपीलान्ट गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है गैर सायल का जिले से बाहर होना जनता के हित में है । अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे ।

7. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा दिनांक 30.10.18 के अनुसार अपीलार्थी के विरुध्द विरुध्द कुल 23 प्रकरण भा.दं.सं., आवकारी एक्ट, एनडीपीएस एक्ट एवं 13आरपीजीओ के दर्ज हुए हैं । अपीलान्ट के विरुध्द जुआ अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित 11 मुकदमे दर्ज होकर न्यायालय द्वारा सजायाब किया गया है :–

क.सं.	मु.नं. व दिनांक	धारा	नतीजा
1	230 / 3.7.17	13 RPGO चालान	सजा 100 / – जुर्माना
2	252 / 20.7.17	13 RPGO चालान	सजा 100 / – जुर्माना
3	288 / 12.8.17	13 RPGO चालान	सजा 100 / – जुर्माना
4	145 / 19.4.18	13 RPGO चालान	सजा 100 / – जुर्माना
5	197 / 19.5.18	13 RPGO चालान	सजा 100 / – जुर्माना
6	214 / 29.5.18	13 RPGO चालान	सजा 100 / – जुर्माना
7	220 / 6.6.18	13 RPGO चालान	सजा 100 / – जुर्माना
8	273 / 12.7.18	13 RPGO चालान	सजा 100 / – जुर्माना
9	320 / 13.8.18	13 RPGO चालान	सजा 100 / – जुर्माना
10	328 / 19.8.18	13 RPGO चालान	सजा 100 / – जुर्माना
11	348 / 4.9.18	13 RPGO चालान	सजा 100 / – जुर्माना

8. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासन हेतु निम्नलिखित तीन शर्तो का होना आवश्यक है :–

क– वह व्यक्ति गुण्डा हो ।

ख– (i) उसकी गतिविधियों से जिले / किसी भाग में व्यक्तियों की सम्पत्ति को खतरा उत्पन्न कराने या नुकसान कराने वाली है ।

(ii) वह व्यक्ति धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) से (vi) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध या कृत्य के करने या उसके लिए दुष्प्रेरित करने में लगा हुआ है ।

ग– साक्षीगण अपने शरीर या सम्पत्ति की सुरक्षा के सम्बन्ध में आशंकित होने के कारण उसके विरुध्द साक्ष्य देने के लिए आगे आने के इच्छुक नहीं है ।

9. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2–ख(v) अनुसार राजस्थान लोक धूत अध्यादेश 1949 के अधीन कम से कम दो बार दोष सिध्द होने पर वह गुण्डा की श्रेणी में आता है । प्रकरण में अपीलार्थी के विरुध्द धारा 13 आरपीजीओ के अन्तर्गत कुल 11 मुकदमे दर्ज हुए एवम् सभी प्रकरणों में न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सजायाब किया गया है । इस

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रकार अपीलार्थी धारा 2 ख (v)अनुसार गुण्डा की परिभाषा में आता है । प्रकरण में प्रस्तुत इस्तगासा दिनाक 30.10.18 एवम् नकल रपट रोजनामचा आम दिनांक 25.10.18 के अनुसार गैर सायल अपराधिक किस्म का व्यक्ति है तथा जुआ सट्टे का आदि है । इसकी आम शोहरत अच्छी नहीं है, कॉलोनी के आम जन में भय व्याप्त है तथा भय के कारण लोग इसके विरुध्द पुलिस में शिकायत करने या गवाही देने से डरते हैं। प्रकरण में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा अपने बचाव पक्ष में कोई गवाह पेश नहीं किया है ।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलान्ट गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 ख की उप धारा (v) के अन्तर्गत गुण्डे की परिभाषा में आता है । प्रस्तुत इस्तगासा एवम् रपट रोजनामचा अनुसार अपीलार्थी अवैध सट्टे के कारोबार में लिप्त है । अपीलार्थी की आम शोहरत अच्छी नहीं है, झगड़ालू प्रवृति का व्यक्ति है, जिसके कारण लोगों में भय है एवम् भय के कारण आमजन अपीलान्ट के विरुध्द शिकायत करने से डरते हैं । अपीलान्ट के भय से आमजन की सम्पत्ति को खतरा एवं संत्रास है । इस प्रकार अपीलान्ट के विरुध्द गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उप धारा (1) के खण्ड ''क'' ''ख'' ''ग'' में विनिर्दिष्ट तीनें शर्ते पूरी होने से न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट (नगर) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलान्ट को 6 माह की अवधि के लिए जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से निष्कासित करते हुए निष्कासित अवधि में जिला चूरु में थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, चूरु को उपस्थिति देने के आदेश दिये गये हैं, उसमें हम किसी भी प्रकार से परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः निष्कासन की सजा को यथावत रखते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट (नगर) श्रीगंगानगर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.11.2018 यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

11. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति सहित लौटाया जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक 9.7.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर